

प्रेस नोट

दिनांक 11.10.के लागू 0सं0प्र0द 144 को थाना बड़ागाँव पुलिस द्वारा जनपद में धारा 2020 भादवि का उल्लंघन कर 188 होने के बावजूद भी धारादो पक्षों द्वारा आपस में विवाद करने व थाना बड़ागाँव पुलिस के मौके पर पहुँचने पर गाली गलौज, मारपीट व पत्थरबाजी करते हुए शान्तिव्यवस्था छिन्न भिन्न करने ,सरकारी कार्य में बाधा डालने व जान से मारने की धमकी दिये जाने सम्बन्धी आरोपों में दोनों पक्षों के कुल व्यक्तियों 11को गिरफ्तार किया गया। उक्त के दौरान दो आरक्षियों को चोटें आयीं। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बड़ागाँव में मु0अ0सं0 0456/2020 धारा - 147/323/353/332/504/506/188 भा0द0वि0 व 7 सी0एल0ए0 एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

प्रथम पक्ष-

1. कुतुबुद्दीन पुत्र अब्दुल खालिद निवासी कूड़ी, थाना बड़ागाँव वाराणसी ।
2. कल्लू पुत्र आलमद्दीन निवासी कूड़ी थाना बड़ागाँव वाराणसी ।
3. बेलाल पुत्र सनीउल्ला निवासी कूड़ी थाना बड़ागाँव वाराणसी ।
4. अमिरुद्दीन पुत्र बदरुद्दीन निवासी कूड़ी थाना बड़ागाँव वाराणसी ।
5. सोहराब पुत्र मुनीब निवासी कूड़ी थाना बड़ागाँव वाराणसी ।

द्वितीय पक्ष-

6. बल्लू पुत्र सरोत्तम निवासी कूड़ी थाना बड़ागाँव वाराणसी ।
7. भोलू पुत्र खुरुम निवासी कूड़ी थाना बड़ागाँव वाराणसी ।
8. राजू पुत्र बंगा निवासी कूड़ी थाना बड़ागाँव वाराणसी ।
9. विशाल पुत्र स्व0 शग्गु प्रजापति निवासी कूड़ी थाना बड़ागाँव वाराणसी ।
10. रमेश प्रसाद पुत्र स्व0 खिरोधर निवासी कूड़ी थाना बड़ागाँव वाराणसी ।
11. मुलायम पुत्र बुध्दिराम निवासी कूड़ी थाना बड़ागाँव वाराणसी ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- थानाध्यक्ष बड़ागाँव मुरलीधर, उ0नि0 लक्षीराम चौबे, उ0नि0 अजय कुमार यादव, का0 मुकेश चौधरी, का0 अनीश वर्मा, का0 अजयभान गिरी व का0 सौरभ कुमार थाना बड़ागाँव वाराणसी ।



वाराणसी पुलिस आपकी अपनी पुलिस :

कार्यालय वरिष्ठ
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644
policevaranasi

पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फैक्स-91-542-250145 ,0 ईमेल-sspvns-up@nic.in,

Facebook-

संख्या :पीआरओ /632020
/122020

दिनांक: अक्टूबर ,

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) वाराणसी व क्षेत्राधिकारी सदर वाराणसी के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 12.10.2020 को थाना लोहता पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 241/2020 धारा 323/504/506/308 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त बलेन्द्र पुत्र स्व0 कन्हैया निवासी भीमचण्डी थाना रोहनियाँ वाराणसी उम्र 32 वर्ष को सिटकहवा बाबा मन्दिर के पास से समय करीब 11.00 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना लोहता पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- बलेन्द्र पुत्र स्व0 कन्हैया निवासी भीमचण्डी थाना रोहनिया वाराणसी उम्र 32 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 जनक सिंह, हे0का0 सत्येन्द्र सिंह व का0 पवन कुमार सिंह थाना लोहता वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

दिनांक 12.10.2020 को क्राइम ब्रांच वाराणसी व थाना सिगरा पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त शेरू खान व दाऊद गिरफ्तार, कब्जे से कुल 2.400 किलोग्राम नाजायज गांजा व बिक्री के 580/- रूपये बरामद।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद वाराणसी के कुशल निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर व पुलिस अधीक्षक अपराध के निकट पर्यवेक्षण व स0पु0अ0/क्षेत्राधिकारी चेतगंज के नेतृत्व में दिनांक 11.10.2020 को क्राइम ब्रांच एवं थाना सिगरा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा 02 संदिग्ध व्यक्तियों (1) शेरू खान पुत्र असामुद्दीन उर्फ आसाम घोड़ा वाले निवासी म0नं0 सी0 18/18 पितरकुन्डा थाना सिगरा वाराणसी हालपता बाबू राव डफाली का किराये का मकान फातमान थाना सिगरा जनपद वाराणसी उम्र 30 वर्ष व (2) दाऊद पुत्र सलीम निवासी चौरहट नई बस्ती पड़ाव राजू आटो वाले का किराये का मकान थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली हाल पता किराये का मकान सी0 18/18 पितरकुण्डा थाना सिगरा जनपद वाराणसी उम्र 21 वर्ष को फातमान मोड़ के पास से समय करीब 23.50 बजे गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से कुल 2.400 किलोग्राम नाजायज गांजा व बिक्री के रू0 580/- बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 464/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. शेरू खान पुत्र असामुद्दीन उर्फ आसाम घोड़ा वाले निवासी म0नं0 सी0 18/18 पितरकुन्डा थाना सिगरा वाराणसी हालपता बाबू राव डफाली का किराये का मकान फातमान थाना सिगरा जनपद वाराणसी उम्र 30 वर्ष ।
2. दाऊद पुत्र सलीम निवासी चौरहट नई बस्ती पड़ाव राजू आटो वाले का किराये का मकान थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली हाल पता किराये का मकान सी0 18/18 पितरकुण्डा थाना सिगरा जनपद वाराणसी उम्र 21 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

1. कुल 2.400 किलोग्राम नाजायज गांजा
2. बिक्री के 580/- रूपये

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त शेरू खान का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 51/10 धारा 147/148/149/307/323/504/506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना लक्सा वाराणसी।

2. मु0अ0सं0 76/10 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना लक्सा वाराणसी ।
3. मु0अ0सं0- 20/12 धारा 3/4 गुण्डा एक्ट थाना चेतगंज वाराणसी ।
4. मु0अ0सं0 464/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सिगरा वाराणसी ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

क्राइम ब्रांच वाराणसी-

- का0 विनय सिंह, का0 अमित शुक्ला, का0 बालमुकुन्द, का0 सूरज, का0 नीरज, का0 अनूप कुशवाहा, का0 मृत्युंजय सिंह, का0 शिवबाबू ।

थाना सिगरा-

- उ0नि0 विजय प्रकाश यादव चौकी प्रभारी लल्लापुरा, उ0नि0 रामनरेश यादव चौकी प्रभारी नगर निगम, हे0का0 राजेन्द्र बहादुर सिंह, का0 रामविलास राजभर व का0 बृजेश यादव थाना सिगरा वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

दिनांक 11.10.2020 को थाना सारनाथ पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 578/2020 धारा 457/380/411 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त मो. इलियास उर्फ गोलू पुत्र जमालुद्दीन मंसूरी निवासी रमदत्तपुर थाना लालपुर-पाण्डेयपुर, जनपद वाराणसी उम्र 24 वर्ष को आशापुर तिराहे के पास से समय करीब 23.35 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 अदद प्लास्टिक की बोरी में 45 पैकेट तम्बाकू व गुटखा एवं 01 अदद LED TV (जिसका कुल मूल्य 31,000/- रुपया) बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना सारनाथ पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- मो. इलियास उर्फ गोलू पुत्र जमालुद्दीन मंसूरी निवासी रमदत्तपुर थाना लालपुर-पाण्डेयपुर, जनपद वाराणसी उम्र 24 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- 01 अदद प्लास्टिक की बोरी में 45 पैकेट तम्बाकू व गुटखा एवं 01 अदद LED TV (जिसका कुल मूल्य 31,000/- रुपया)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 धर्मराज शर्मा, का0 बूटा सिंह व का0 आलोक सिंह थाना सारनाथ वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



वाराणसी पुलिस आपकी अपनी पुलिस :

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 , फ़ैक्स-91-542-250145 , 0 ईमेल-sspvn-s-up@nic.in,
policevaranasi

Facebook-

संख्या :पीआरओ 66/2020

दिनांक: अक्टूबर ,

/122020

प्रेस नोट

थाना चोलापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 58/15 धारा 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त रोशन चौहान पुत्र शिवचरन चौहान निवासी हाजीपुर थाना चोलापुर वाराणसी को मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 12.10.2020 को मा0 न्या0 विशेष न्यायाधीश पाक्सो-1 जनपद वाराणसी द्वारा धारा 3/4 पाक्सो एक्ट में लगाये गये आरोप में दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस आपकी अपनी पुलिस :

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 , फ़ैक्स-91-542-250145 ,0 ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-
policevaranasi

संख्या :पीआरओ /672020

दिनांक: अक्टूबर ,

/122020

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, गैर जरूरी तौर से होटल/गेस्ट हाऊस/दुकानें खुली रखने वाले संचालकों, कालाबाजारी करने वालों व राज्य सरकार द्वारा जारी गार्ड लाईन से सम्बन्धित नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 12-10-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए* कुल60 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *40 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51 आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों, 14 बार्डर प्वाइंट व 49 पुलिस नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 1637 वाहनों का चालान, 23 वाहनों को सीज तथा 279 वाहनों से रु0-2,49,300/-समन शुल्क वसूल* किया गया।

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेशानुसार आज दिनांक 12-10-2020 को जनपद वाराणसी राज्य सरकार द्वारा जारी गार्ड लाईन से सम्बन्धित नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा बिना मास्क पहने घूम रहे व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर बिना मास्क धारण किये *कुल 1679 व्यक्तियों से रु0-81,400/- जुर्माना* जमा कराया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।